

उत्तर प्रदेश शासन
प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-772/सोलड-2-2023
लगायत दिनांक 15 जनवरी, 2023
नियुक्ति/विज्ञप्ति

प्राथमिक शिक्षा विभाग (दिएलगेन सेक्टर) उ०प्र० के अन्तर्गत राजकीय पाठीपठिका, उ०प्र० में व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण के पदों पर शीपी मर्जी द्वारा नियमित रूप से फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयोगावधि की संस्तुति के आधार पर श्री परमेश्वर कुमार प्रजापति मु० श्री विरेन्द्र प्रजापति मधुली पता-ग्राम-नौकागोब, पोस्ट-अरकटवा, बलिया, उ०प्र०-277200 (लोक सेवा आयोग का क्रमांक-115) को उनके कार्याभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण के पद पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (ग्राम्यापन) सेवा नियमावली, 2021 में निहित प्रावधानानुसार वेतनमान प्रिविन्ट वेतन 85,100, सेवेत-3के एवं प्रिविन्ट वेतन 87,700, सेवेत-10 (लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित मौखिक अर्हता स्नातक अथवा परास्नातक के अनुज्ञाप) में अस्थायी रूप से शासनादेश संख्या-04/2021/1/2011-का-4-2021, दिनांक 29.04.2021 में निहित प्रावधानानुसार अधिनियम क्र. 17 के राजकीय पाठीपठिका, पुरैना, सदर, मधुसागराज में नियुक्ति/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तदर्थ नवीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त सेवा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (ग्राम्यापन) सेवा नियमावली 2021 में उल्लिखित प्रावधानों से मानित होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तों भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (2) संबंधित कार्मिक, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवाएं परिवर्तित (प्रयोग संशोधन) नियमावली, 2016 को उत्तर प्रदेश के शासनादेशों सेवकों की सेवा नियमावतियों पर अध्यादेशों प्रभाव से लागू है, की तुरंतप्रा प्रावधानों के अन्तर्गत व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर खोने तथा व्याख्याता पद की पारस्परिक व्यवस्था सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण बाद में निर्धारित की जाएगी।
- (3) संबंधित कार्मिक का नवीकृत सत्यापन एवं पुनित सत्यापन नियमानुसार कराया जा रहा है। यदि उक्त सत्यापन में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिपात तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधि शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति उत्कण्ठ निरस्त कर दी जायेगी।
- (4) निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र० जानपुर संबंधित कार्मिक के अनिवार्य शोचताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन की जांच संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय से करा जेंगे और यदि संबंधित कार्मिक को मूल अभिलेख पूर्ण/कमी पाई जाते हैं, तो उक्त कार्मिक के विरुद्ध संगत कार्रवाई में विधिक कार्यवाही करते हुए मूल कार्यवाही से शासन को 08 माह के अन्दर अवगत करायेगी। तदनुसार उक्त कार्मिक को नियुक्ति निरस्त करने संबंधी आदेश कार्यवाही की जायेगी।
- (5) संबंधित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त भाव-वामय पर राजी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुभव्य सहगाई मत्ता तथा अन्य भी देय होंगे। संबंधित कार्मिक को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपने कार्यभार ग्रहण आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवगत ग्रहण कर ले अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित कार्मिक को किसी प्रकार का पत्र भेजा देय नहीं होगा।
- (6) यह नियुक्ति यदि उक्त व्याख्याता में घोषित विवेक आदेश संख्या-475(वी)आज 2019 में बा० व्याख्याता द्वारा पारित होने वाले अधिनियम निर्णय के अधीन रहेगा।

सुनाच मन्त्र शासनी
 प्रमुख सचिव।